UPBJ010031222026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–890/2026

मु0अ0सं0–354/2025
धारा–79 बी0एन0एस0 व
3(2)5क एस.सी./एस.टी.(पी0ए0) एक्ट,
थाना–नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

दिनांक–25–03–2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **राजवीर सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 354/2025 अन्तर्गत धारा 79 बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया। वादिनी मुकदमा पर नोटिस की तामील है, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

3– संक्षेप में वादिनी मुकदमा समिता ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थिनी ग्राम नगला उभन में आंगनबाडी कार्यकत्री के पद पर कार्यरत है। ग्राम प्रधान राजवीर चौहान द्वारा काफी समय से प्रार्थिनी से अनुचित मांगे की जा रही थी, इन्कार करने पर प्रार्थिनी को धमकाया गया कि तेरी नौकरी खा जाउंगा तू जानती नहीं है तुझे जेल भिजवा दूंगा। ग्राम प्रधान ने षडयन्त्र रचते हुए एक कोरे कागज पर धोखा धडी कर अनेक गांव वालो से यह कहकर कि सरकारी सडक बननी हैै, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान करवा लिये तथ इसी कागज का प्रयोग कर दिनांक 18–09–2025 को प्रार्थिनी की झूठी शिकायत कर दी। आज दिनांक 24–09–2025 को जांच करने आयी सुपरवाईजर/जांच अधिकारी को हस्ताक्षर व अंगूठे लगाने वाले लोगो ने बताया कि हमने समिता की कोई शिकायत नहीं की प्रधान ने धोखे से सरकारी सडक बनाने के नाम पर हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान लिये थे। जैसे ही ग्राम

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2026.03.28 16:30:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रधान राजवीर को पता चला तो वह मौके पर आया गांव वालो के सामने प्रार्थिनी की बेइज्जती करते हुए मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा तू छोटी जात की है चमारी भंगन कहते हुए कहा तू चोरी करती है चोर कहीं की कहकर अपमानित किया वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद में प्राथमिकी मु0अ0सं0 354/2025 अन्तर्गत धारा 79,351(2),352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस. सी.,एस.टी. एक्ट अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त धारा 79 बी0एन0एस0 व धारा 3(2)5क एस.सी.,एस.टी. एक्ट में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष हैं। प्रार्थी गांव का प्रधान है तथा वादिनी आंगनबाडी कार्यकत्री है जो सरकार द्वारा वितरित किये जाने वाले पुष्टाहार का सही वितरण न करके अपने घर में रखी थी। जिसके बारे में शिकायत की गयी थी। जिसमें उसे अधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया था। इसी बात को लेकर झूठा मुकदमा कायम कराया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखायी गयी है देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रार्थी थाने से धारा 35 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत छोडा गया था जिसका कोई दुरूपयोग नहीं किया है। मुकदमे में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। उक्त कथनों के साथ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमातन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को गांव वालो के सामने अपशब्दों का प्रयोग करके गन्दी गन्दी गालियां देकर अनादर करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा को को गांव वालो के सामने अपशब्दों का प्रयोग करके गन्दी गन्दी गालियां देकर अनादर करने का आरोप है। दौरान विवेचना अभियुक्त को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर छोडा गया था। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत के दुरूपयोग का कोई तथ्य नहीं लाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त को कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थां क्रि0 अपील सं0 838/2021 सिद्धार्थ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 16–08–2021 एवं सतेन्द्र कुमार अन्टिल**

बनाम सी0बी0आई0 मिस0 अपील डायरी नं0 1849 सन 2021 एस.एल.पी. (क्रिम0) 5191/2021 निर्णय दिनॉकित 11.07.2022, दाताराम सिहॅ बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य (2018) 3 एस.सी.सी. 22,माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या सी0एल0 नं0 11 /2023 /एडमिन जी–II दिनॉकित इलाहाबाद 27.04.2023 के आलोक में अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त **राजवीर सिंह** का उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अंकन 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) की धनराशि के दो जमानती तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश
एस.सी/एस.टी(पी.ए.)एक्ट, बिजनौर।
J.O.Code U.P.-06074